संख्या-115 /2024/I/703150 /2024/71-1002/17/2022

प्रेषक,

चन्द्रशेखर मिश्र,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 29 जुलाई 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन तथा आजमगढ़ में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-108 /2024/I/689185 /2024/71-1002/17/2022, दिनांक 12.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन तथा आजमगढ़ में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु मानकीकृत एकेडमिक भवन के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 2082.06 लाख (प्रति नर्सिंग कालेज) के सापेक्ष परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु रू0 666.00 लाख तथा राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु रू0 853.00 लाख (प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 375.00 लाख के सापेक्ष अनाहरित धनराशि रू0 187.50 लाख को सम्मिलित करते हुए), इस प्रकार कुल रू0 1519.50 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश पोर्टल पर अपलोड करते समय उपरिसन्दर्भित शासनादेश संख्या-108/2024/I/689185 /2024/71-1002/17/2022, दिनांक 12.07.2024 के प्रस्तर-2 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु **रू0 853.50 लाख** (प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 375.00 लाख के सापेक्ष अनाहरित धनराशि रू0 187.50 लाख को सम्मिलित करते हुए), के स्थान पर **त्रुटिवश रू0 853.00 लाख अंकित** हो गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 12.07.2024 के प्रस्तर-2 में **राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0 853.50 लाख (प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 375.00 लाख के सापेक्ष अनाहरित धनराशि रू0 187.50 लाख को सम्मिलित करते हुए) पढ़ा व समझा जाए।

4- उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्ते एंव प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

भवदीय,

चन्द्रशेखर मिश्र
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन/आजमगढ़।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन/आजमगढ़।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन/आजमगढ़।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

चन्द्रशेखर मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।